अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जुलाई 2004 केवल सदस्यों के लिए मूल्य : 2 रुपये

भारत की असली जनता ने आवाज बुलन्द की

चुनाव 2004 ने यह साबित कर दिया कि जो भी सरकार ''भारत–उदय'' के नाम पर आम–आदमनी के साथ मजाक करने की कोशिश करेगी उसे जनता बिलकुल स्वीकार नहीं करेगी। इस पर भी जब उनकी दाल नहीं गली तो 'फिल गुड' या कभी जनता की जरूरतों का फायदा उठाकर कभी साडी, पैसा तो कभी शराब का लालच से उसे खरीदने की कोशिश की भले ही बहुमत में हमारी जनता गरीब और अनपढ़ जरूर है, मगर वह बेवकूफ नहीं है।

ध्यान इन चुनावों में जब मीडिया ने आम मुद्दो हटाने का और भाजपा ने अटल बनाम सोनिया का नाम इन पूरे चुनावों को देने की कोशिश तो हमारी जनता ने यह बता दिया कि रोजगार, खाद्य सुरक्षा, उच्च रहन–सहन तथा काम करने क परिस्थितियां एवं साम्प्रदायिक सदभाव ही मुख्य मुद्दे हैं और रहेंगे। तो भले ही वह आन्ध्र प्रदेश के चन्द्रबाबू नायडू की सरकार या आई टी प्रोत्साहित एस एम कृष्णा की कांग्रेस की सरकार या ए आई डी एम के की जनविरोधी बहुचर्चित जयललिता की सरकार। वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन वाली सरकार जिसने मुट्ठीभर अमीरों की जिन्दगी को दिखाकर उसे भारत का आयना बताने की कोशिश की वहां उसे मुंह खानी पड़ी और उसका अपना चुनाव अनुमान ही उनके विरोध में गये।

वहीं दूसरी ओर, इन चुनावों में वामपंथी पार्टियों ने आजादी के बाद अब तक का अपना सबसे अच्छा परिणाम दिया। जहां वह लगातांर भाजपा की जन विरोधी आर्थिक नीतियों और साम्प्रदायिक राजनीति के खेल के खिलाफ लगातार लड़ते रहे। इसलिए आशा करते हैं कि ऊँचे स्वर में आम आदमी के आवाज को संसद में उठाया जाएगा और सही में लोकतांत्रिक नीतियों का चयन किया जाएगा।

अब जबकि, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार ने शपथ ले ली है व साधा न्यूनतम कार्यक्रम के बनने में अन्य राजनीतिक दलों से सहमति लेकर ही बनाया जाएगा तो कामकाजी महिला वर्ग यह उम्मीद करती हैं कि यह सरकार कानूनी तौर पर विभिन्न कामकाजी वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोग ध्यान देगा वहीं यूनियन विरोधी बिलों को हटाने व महिलाओं के आरक्षण आदि मुद्दों को तज्जु देगा। साथ ही काम करने के स्थलों यौन शोषण या अन्य किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक शोषण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और दूसरे राष्ट्रीय श्रम कमीशन की सिफारिशों को खारिज किया जाएगा। वही राशन व्यवस्था जिसे अपनी तथाकथित उद्देश्यों को पूरा करने के नाम पर कम किया उसे सुधारा जाएगा। इसी तरह से जरूरी है कि पिछली सरकार ने अपने शासन काल में जो साम्प्रदायिकता को बीज हमारे शिक्षा, शोध एवं अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में बोए हैं उसे निजाद दी जाए और बीजेपी के हिंदुत्व नीतियों को लागू करने के लिए जो उसने अपने आदमी विभिन्न संस्थाओं पर बैठाए थे उन्हें हटाया जाए जो कि देष की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

हम उम्मीदं करते हैं कि ये नई सरकार जनता के मत को समझने की कोशिश करेगी और कुछ लोगों के लिए बल्कि एक आम आदमी की सरकार बनने की कोशिश करेगी।

इसे संयुक्त राज्य अमरीका कहें या 'बेशर्मी का साम्राज्य'

बगदाद के बाहर स्थित अबु गरीब जेल में बंद इराक के युद्ध बंदियों के साथ अमरीकी सैनिकों की ओर से जो अमानवीय व्यवहार किया गया; उन्हें भयानक यातनाएं दी गई; उनका उत्पीड़न किया गया और उनका यौन शोषण जम कर किया गया, उनकी तस्वीरें तथा उनके ग्राफ प्रकाशित हो चुके हैं; इन्हें देख कर पूरी दुनिया दहल गई है। इन बंदियों को बिजली की तारों के साथ बांध कर उन्हें एक दूसरे के ऊपर फैंका गया; उनके ढेर वैसे ही लगाए गए जैसे कूड़े–कचरे के लगाए जाते हैं। मानो वे मानवीय पिरामिड हों। दुनिया भर के शांतिकामी लोगों का गुस्सा ये ढेर देख कर भड़क उठा; यह स्वाभाविक ही था; इसकी चहुंओर निंदा की गई। अधिकांश बंधन निर्दोष इराकी थे; गठबंधन की सेनाओं ने उन्हें यूं ही पकड़ लिया; लाल बुझक्कड़ गुप्तचर अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। किसी शत्रु देश के बंदियों से पूछताछ कैसे की जाती है; उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। उसका परिणाम वही निकला जिसे विश्व भर की जनता ने इन तस्वीरों के माध्यम से देखा।

अमरीकी सेनाओं के अत्याचारों की कहानियां अब पुरानी हो चुकी हैं। अबु गरीब से पहले गुआंटानामा बे जेल की तस्वीरें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये तस्वीरें अमरीकी सैनिकों के युद्ध बंदियों के प्रति अमानवीय व्यवहार की पोल खोलने वाली थीं। जिन लोगों ने इस प्रकार के जघन्य कृत्य किये थे, उन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया और न ही उन पर मुकद्दमा चलाया गया। ये कहानियां अब प्रकाश में आ रही हैं; इस प्रकार के कुकृत्य केवल अमरीकी सैनिकों ने किये है; यह बात नहीं; ब्रिटेन के सैनिक भी इस काम में पीछे नहीं रहे। ये अत्याचार सुनियोजित ढंग से तथा व्यापक स्तर पर किये गए। इन कारनामों ने अमरीका के सहयोगियों का सिर भी शर्म से झुका दिया है। इसके चलते अमरीका तथा सहयोगी देशों की मानहानी हुई है क्योंकि इराक का युद्ध शुरू होने से पहले बुश और ब्लेयर की जुंडली नैतिकता की दुहाईयां देते थकती नहीं थी। यह जुंडली बड़ी ऊंची बातें कर रही थी। वे कहते थे कि इराकी लोगों को उस सत्ता से बचाना जरूरी है जो "अत्याचारी है और लोगों का उत्पीड़न करने के मामले में उसका कोई जवाब नहीं", इराक में लोकतंत्र की बहाली के लिये भी यह युद्ध जरूरी है।" यही बातें वे उन दिनों बढ़ चढ़ कर कर रहे थे।

अमरीका के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा कानूनी विशेषज्ञों ने भी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की बुश की नीति और कार्य कलापों की आलोचना की है; उनके अनुसार इस युद्ध में उसने सभी प्रकार के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं; ऐसे लोगों को पूछताछ के काम के लिये लगाया गया है जिन्हें सामान्य नियमों एवं कायदे कानूनों की कोई चिंता नहीं है। गुआंटेनामों जैसे अनेकानेक यातना शिविर बदनाम सीआइए की ओर से चलाए जा रहे हैं; ये लोग अमरीकी अदालतों के घेरे में नहीं आते। इन शिविरों में कैदियों को नियमित रूप से यातनाएं दी जाती हैं; उनका शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। बात–बात पर हिंसा की जाती है।

अमरीका इराक में लोगों को यातनाएं देने के लिये अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है। अमरीका विरोधी युद्ध बंदियों से अमानवीय व्यवहार किया जाता है; उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है; दुराचार का कोई भी ढंग तरीका इस्तेमाल करने से ये लोग कोई संकोच नहीं करते। इसके लिये सैनिक कब्जे के हिंसक तर्क दिये जाते हैं। जेलों के कायदे कानून ऐसे बना दिये गए हैं कि युद्ध बंदियों का अमानवीय उत्पीड़न होना एक सामान्य सी बात बन गई है; कैदियों के यौन शोषण एवं यातनाओं की कहानियां इससे अलग हैं। अमरीका कहने को चाहे जो भी कहता रहे और 'बहादुरी' का प्रदर्शन करने के लिये अपने सैनिकों को तमगे देता रहा; उनकी सराहना करता रहे, पर सच्चाई तो यह है कि इन सैनिकों को अमानवीय हिंसा के सारे रिकार्ड तोड़ डाले हैं; ये लोग बेनकाब हो चुके हैं।

गुआंटेनामो बे में गुप्तचर अधिकारी के तौर पर काम कर चुके टोरिन नेलसन को पिछले वर्ष एक निजी ठेकेदार के रूप में अबु गरीब जेल में भेजा गया था; वहां जाने से पहले टोरिन ने आरोप लगाया था कि इराकी युद्ध बंदियों के खिलाफ अमानवीय उत्पीड़न एवं हिंसा अमरीका की सैनिक गुप्तचरी की विफलता का नतीजा थी; उन्होंने निजी कम्पनियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था। उसने बताया कि ये कम्पनियां अमानवीय यातनाएं देने की साम्राज्यवादी मांग को पूरा करने के लिये इतनी उतावली थीं कि उन्होंने बंदियों से पूछताछ करने जैसे कामों पर 'ट्रक ड्राइवरों तथा रसोईयों' को लगा दिया। उनका अनुमान है कि जेल में बंद एक तिहाई कैदियों का आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है।

इराकी बंदियों को निम्न स्तर की अमानवीय यातनाएं दिये जाने पर लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि अमरीकी शासकों को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिये मजबूर होना पड़ा; वे इसके लिये तैयार नहीं थे; उनके लिये यह एक असामान्य कार्रवाई थी। जार्ज बुश ने इन घटनाओं को 'असामान्य' करार दिया था; ठीक उसी तरह जैसे उनके भारतीय 'सहयोगी' लाल कृष्ण अडवानी ने गुजरात में राज्य द्वारा प्रायोजित साम्प्रदायिक दंगों की सफाई देते समय कहा था; इन दंगों में हजारों निदोर्ष मुसलमान मारे गए; लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया; उनके घरों को जलाया गया था और लूटमार की गई थी।

अबु गरीब जेल में जो हुआ वह असामान्य नहीं था; यह एक तथ्य है। अमरीका किस प्रकार बंदी बनाता है; बंदियों के साथ जघन्य अमानवीय व्यवहार करता है; इस बारे में उसे काम करने का एक विशेष ढंग है; अबु गरीब जेल में जो हुआ वह उसी की एक कड़ी थी। वहां दी गई यातनाओं का सीधा सम्बन्ध पूछताछ करने के अजीबोगरीब तरीके से था; यह किसी व्यक्ति की नीचता के कारण नहीं हुआ बल्कि इसके लिये आधिकारिक आदेश जारी किये गए थे। अमरीका क्रूरता की इन बर्बर घटनाओं के मामले में अपना पलु छुड़ा लेना चाहता है; वह इन अमानवीय कार्रवाईयों की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सहकारी शोध केन्द्र की ओर से इराक, अफगानिस्तान, गुआंटेनामो बे में अमरीका द्वारा बनाए गए युद्ध बंदियों को गैरकानूनी ढंग से यातनाएं दिये जाने और बर्बर हिंसा के दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं। उन युद्ध बंदियों की भी यही कहानी है जिन्हें अमरीका ने अपने सहयोगी देशों के हवाले कर दिया था।

इराक के युद्ध बंदियों के खिलाफ अमानवीय एवं बर्बर कार्रवाईयों की विश्व भर में घोर निंदा की गई है। भारत में, उस समय की वाजपेयी सरकार ने इस पर कुछ न कहना ही मुनासिब समझा था। वह अमरीका को खुश करने के चक्कर में रहती थी; यदि इस प्रश्न पर वह कुछ बोलती तो उसका यह 'शानदार' रिकार्ड टूट जाता। इसी भय से वह इस प्रश्न पर चुप रही। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हमारे देश की जनवादी शक्तियों तथा ठीक सोचने वाले लोगों ने इसकी तीखी निंदा की थी। अमरीका सेनाओं की इन बर्बर कार्रवाईयों ने उनके सभ्य व्यवहार की पोल खोल दी है। अमरीका प्रशासन लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है; यह बात अब किसी से छिपी नहीं रही।

नियमितीकरण के लिए ए आइ एफ ए डब्ल्यू का अभियान

ए आई एफ ए डब्ल्यू एच की कार्यकारिणी की कमेटी में आँगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायकों की नियंत्रितकरण से सम्बोधित आंदोलन को तेज करने की फैसला किया। वहीं साथ–साथ अन्य प्रचार एवं अन्य आंदोलनात्मक गतिविधि को बढ़ाकर आई सी डी एस को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ जोड़ने का प्रस्ताव पर भी चर्चा की गयी। कार्यकारिणी कमेटी की बैठक 23–24 मई, 2004 को निलिमा मैत्रा की अध्यक्षा में 30 कामरेड जो 14 विभिन्न राज्यों – (आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल) में सम्पन्न हुई।

कार्यकारिणी कमेटी ने विभिन्न आँगनवाड़ी कर्मचारियों एवं सहायकों को हाल में हुई लोकसभा के चुनावों में बिना थके भाजपा वाली एन डी ए सरकार को हराने व वामपंथी ताकत को मजबूत बनाने के लिए बधाई दी। वहीं आज जो अनुकूल परिस्थितियाँ उभरी हैं के चलते विभिन्न राज्य कमेटियों से अपील की वह अपनी माँगों को आगे लाने व संगठन को मजबूत करने से सम्बन्धित प्रचार को तेज करें।

महासचिव द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने व उस पर बहस होने के बाद आम सहमति से कुछ आगे रखे।

कार्यकारिणी कमेटी ने यह तय किया कि एक प्रतिनिधिमंडल मानव, संसाधन एवं विकास मंत्रालय से मिलकर अपना माँगपत्र पेश करेगा।

कार्यकारिणी कमेटी माँग दिवस जो 10 जुलाई को माना गया जिसमें नियमित करना, आँगनवाड़ी केन्द्रों को पंचायतों को देने का विरोध तथा वेतन (माँदे) का समय पर देना आदि शामिल है। वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि साल 2003 की मेंम्बरशिप को जून 2004 तक खत्म कर साल 2004 की मेम्बरशिप शुरू की जाए। राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन कर चौथे ए आई एफ ए डब्ल्यू एच के निर्देशों के क्रियान्वन का विश्लेषण जुलाई 2004 तक हो जाना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विभिन्न राज्यों में आई सी डी एस सुपरवाईजर सीटू से सम्पर्क कर उनकी लामबंधी के लिए अपील कर रहे हैं। जहाँ कुछ राज्यों में आई सी डी एस सुपरवाईस यूनियन पहले से ही सीटू से जुड़ी (Affiliated) हैं, तो कुछ राज्यों में वह राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अन्तर्गत हैं । लेकिन जो भी स्थिति हो कार्यकारिणी कमेटी विभिन्न राज्य यूनियनों से अपील करती है कि वह आई सी डी एस की यूनियन बनाने में गौर करे व उचित कदम उठाए जाए। अन्त में कमेटी सभी हिन्दी भाषी प्रदेशों से अपील करती है कि वह ''पत्रिका'' के लिए नामांकन भरे।

श्रमिक मोर्चे पर यूपीए सरकार के लिये प्राथमिकता वाले काम

लोक सभा चुनावों के बाद की राजनीतिक गतिविधियों की धूल बैठ चुकी है। केन्द्र में यूपीए की नयी सरकार ने काम करना शुरु कर दिया है। श्रमिक आंदोलन की ओर से इस अवसर पर श्रमिकों के साथ सम्बन्ध रखने वाले कुछेक ज्वलंत मुद्दों की ओर नयी सरकार का ध्यान दिलाना जरूरी हो गया है; यह स्वाभाविक है।

पिछले वर्षों में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा स्वतंत्र श्रमिक संघों एवं महासंघों द्वारा संयुक्त रूप से देश के श्रमिकों की अधोलिखित आठ सूत्रीय मांगों का निर्धारण किया थाः

* लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण बंद करो; जिन उपक्रमों का पुनरुद्धार होने की सम्भावनाएं हैं, उनका पुनरुद्धार किया जाए;
* श्रमिकों के हितों के खिलाफ तथा मालिकों के पक्ष में श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा;
* खेतिहर श्रमिकों के लियें तत्काल सर्व समावेशी कानून बनाया जाए;
* रोजगारहीनता तथा बेरोजगारी की स्थिति को बद से बदतर बनाने वाली नीतियां नहीं अपनाई जाएं।
* असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों सहित सभी मेहनतकशों के लिये सामाजिक सुरक्षा के व्यापक कानूनों का घेरा और विशाल किया जाए;
* आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को बहाल करो;
* सभी प्रकार की सीमाओं को समाप्त करके बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन किया जाए;
* भविष्य निधि की जमा राशियों पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर को बहाल किया जाए।

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन की ओर से उच्चतम न्यायालय द्वारा मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा की गई, केन्द्रीय सरकार से मांग की गई कि वह उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त फैसले के घातक एवं विनाशकारी प्रभावों को दूर करने के लिये उपयुक्त कदम उठाए।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम उन विशेष मुद्दों तथा मांगों की सूची सरकार को पेश करना चाहेंगे जिन पर तेजी से कार्रवाई करने की आशा नयी सरकार से की जाती है।

- नयी सरकार का सबसे पहला और सर्वोपरि काम यह होगा कि वह उच्चतम न्यायालय की ओर से हड़ताल करने के मजदूरों के अधिकार के बारे में दिये गए फैसले के कारण पैदा हुई विषम स्थिति तथा तनाव को दूर करने के लिये कदम उठाए; इसके लिये संसद में एक विधेयक लाकर कानून बनाया जाए जिसमें हड़ताल करने के मजदूरों के अधिकार तथा दूसरे जनवादी अधिकारों की गारंटी दी गई हो।

  "संगठन बनाने के अधिकार पर आइएलओ की मूलभूत कन्वेंशन तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार (आइएलओ की कन्वेंशन संख्या 87 तथा 98) और इनके साथ–साथ सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित आइएलओ कन्वेंशन संख्या 151 एवं 154 की पुष्टि करने के लिये कदम उठाए जाएं।
- लाभ पर चलने वाली तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों का अंधाधुंध निजीकरण बंद किया जाए; पूंजी विनिवेश रोको; सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों की बीमारी दूर की जाए तथा जीवनक्षम होने के योग्य इकाईयों का पुनरुद्धार किया जाए।
- कृषि, स्वदेशी उद्योग तथा समग्र रूप में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिये आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को बहाल किया जाए।
- सरकारी कार्यालयों, रेलवे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए और सुनियोजित ढंग से श्रमशक्ति का आकार कम किये जाने की कार्रवाईयां बंद की जाएं; नये रोजगार पैदा करने तथा भयानक सीमा तक बढ़ चुकी बेरोजगारी को दूर करने के लिये क्रैश कार्यक्रम बनाए जाएं।
- चाय, जूट, टैक्सटाइल, कायर, हैंडलूम, बीड़ी, चीनी इत्यादि परम्परागत उद्योगों में व्याप्त संकट को दूर करने के लिये तत्काल कदम उठाए जाएं।
- श्रम मंत्रालय की कार्य प्रणाली को कारगर बनाया जाए; त्रिपक्षीय समितियों, भारतीय श्रम सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति जैसे त्रिपक्षीय तंत्र की गतिविधियों एवं कार्य प्रणाली को कारगर बनाया जाए।
- त्रिपक्षीय समितियों में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को प्रति–निधित्व देने के प्रश्न पर केवल तरंग में आकर मनमाना फैसला किये जाने की परिपाटी समाप्त की जाए; केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को सीटों का आबंटन करने के मामले में प्रतिनिधित्वकारी दक्षता के सिद्धांत का पालन किया जाए; उद्योगवार समितियों में प्रतिनिधित्व का फैसला करने के लिये सम्बन्धित उद्योग में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्य संख्या को स्वीकार किया जाए।
- उन सभी विधायी परिवर्तनों को पूरी तरह खत्म किया जाए जो श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल तथा घातक हैं; निर्यात प्रसंस्करण अंचलों/विशेष आर्थिक अंचलों को श्रम कानूनों तथा सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं को लागू किये जाने के मामले में दी गई छूटें समाप्त की जाएं।
- श्रम कानूनों को और अधिक प्रभावी तथा सार्थक बनाने और कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिये केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विस्तार में विचार विमर्श किया जाए।
- स्थायी आदेश के आदर्श नियमों (माडल स्टैंडिंग आर्डर रूल्स) के अन्तर्गत "सावधि रोजगार पर लगे श्रमिकों" का एक नया वर्गीकरण किये जाने के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना को एकदम निरस्त किया जाए; यदि यह

वर्गीकरण लागू होता है तो इसके फलस्वरूप संगठित क्षेत्र में सभी रोजगारों का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा।

- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिये श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श करके एक कानून बनाया जाए क्योंकि असंगठित क्षेत्र देश की कुल श्रम शक्ति के 93 प्रतिशत भाग पर आधारित है; इन श्रमिकों को न सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है।
- श्रमिकों के मौजूदा सेवा लाभों को खत्म करने वाली प्रतिगामी कार्रवाईयों को रोका जाए; नयी परिभाषित पेन्शन योजना जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में भर्ती होने वाले नये लोगों को अपनी पेन्शन के लिये अंशदान देना होगा, को बदला जाए।
- एक व्यापक योजना के लिये जिसके अन्तर्गत श्रमिकों की सभी श्रेणियों को शामिल किया गया हो, लाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा की एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए; उन श्रमिकों को राहत दी जाए जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने रोजगार से मुक्त होना पड़ा है; इन कार्यक्रमों पर तेजी से अमल किया जाए।
- कर्मचारी भविष्य निधि, लघु बचतों, सामान्य भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि इत्यादि पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर को बहाल किया जाए।
- केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चलने वाली मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की जाए और उनकी खराबियों को दूर करके उनमें पूरी तरह सुधार लाया जाए, उनके बेहतर कार्य प्रदर्शन तथा वे सभी जगह लागू हों, इसे सुनिश्चित बनाया जाए।
- उच्चतम न्यायालय की ओर से दिये गए दिशा निदेशों के अनुसार कामकाजी स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम करने के लिये कानून बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं।
- खेतिहर श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें न्यूनतम वेतन मिलें, इसे यकीनी बनाने के लिये एक सर्वसमावेशी कानून बनाया जाए।
- बोनस की गणना और पात्रता के लिये आय की सीमाओं को समाप्त करने के लिये बोनस अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया जाए।
- केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करके सभी श्रम कानूनों में संशोधन किया जाए जिनके अन्तर्गत 'श्रमिकों' तथा 'उद्योग' की एक समान परिभाषा दी गई हो; आय के मापदण्डों तथा किसी प्रकार की सीमाओं को दरकिनार करते हुए ये कानून सभी श्रमिकों के लिये लागू हों।
- बीमार औद्योगिक कम्पनियों सम्बन्धी (विशेष उपबंध) अधिनियम को निरस्त किये जाने वाला पिछला फैसला बदला जाए; औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआइएफआर) तथा उसके एपीलेट प्राधिकरण (एएआइएफआर) को बहाल किया जाए; बीआइएफआर/एएआइएफआर के कामकाजी तंत्र को मजबूत बनाया जाए; ये दोनों प्राधिकरण बीमार औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्वास तथा पुनरुद्धार को सुनिश्चित बना सकें, इसके लिये उन्हें आवश्यक वित्तीय अधिकार भी प्रदान किये जाने चाहियें; लघु उद्योगों के क्षेत्र में बीमार इकाईयों जो एसआइसीए के घेरे में नहीं आतीं, के पुनर्वास के लिये एक उपयुक्त कामकाजी तंत्र बनाया जाए।
- संसद में उपयुक्त विधेयक लाकर उच्चतम न्यायालय के उन सभी फैसलों को रद्द किया जाए और उनके दुष्प्रभावों को दूर किया जाए जो श्रमिक वर्ग के हितों के प्रतिकूल हैं और जिन्होंने श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाले खुद उसके (उच्चतम न्यायालय) द्वारा दिये गए पिछले फैसले को बदल डाला था; उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया के मामले में संविदा श्रमिकों के पक्ष में अपना फैसला दिया था। उसने एक और फैसले में कहा था कि निजी स्कूलों तथा शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 'श्रमिक' नहीं माना जा सकता और इस प्रकार उसने घोषित कर दिया था कि ये शिक्षक ग्रैच्युटी तथा दूसरे कानूनी सेवा लाभों के लिये पात्र नहीं हैं।
- हाल ही में पास किये गए विद्युत विधेयक की समीक्षा की जाए; बैंकों तथा कोयला खदानों इत्यादि का निजीकरण किये जाने से सम्बन्धित उन सभी विधेयकों जो संसद में लम्बित पड़े हैं, को वापस लिया जाए।
- अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए और अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का नियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के घेरे को और विस्तृत करने के लिये उसमें संशोधन किया जाए।
- मछुआरों को उनकी बढ़ती समस्याओं से निजात दिलाई जाए और तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिये मकैनिकल बेड़ों से काम लेना बंद किया जाए।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीआरसी), 1993 की पुष्टि करके बाल मजदूरी की रोकथाम, उनके पुनर्वास तथा काम से उनकी वापसी के प्रश्न पर सरकार की मौजूदा नीति की समीक्षा की जाए। बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की कार्यनीति राज्य के धन से संचालित बुनियादी शिक्षा, बच्चों को काम से हटाने और उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने, दरिद्रता उन्मूलन और अविभावकों की आजीविका तथा आय में बढ़ोतरी किये जाने इत्यादि पर आधारित होनी चाहिये।
- प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सम्बन्धी विधेयक को तत्काल पारित करने के लिये कदम उठाए जाएं।
- निर्वाह व्यय का पता लगाने के लिये एक पारदर्शी तंत्र जिसकी मानिटरिंग में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की भूमिका भी हो, बनाने के उद्देश्य से एक नयी समीक्षा समिति का गठन किया जाए।
- राष्ट्रीय अवकाशों की सूची में मई दिवस को शामिल किया जाए।

आंध्र प्रदेश : आँगनवाड़ी यूनियन की माँग

आन्ध्र प्रदेश आँगनवाड़ी वर्कस एवं हैल्पर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल जिसमें यूनियन के अध्यक्षा बी ललितामा एवं महासचिव पी रोजा के अतिरिक्त अन्य राज्य कमेटी सदस्य मुख्यमंत्री वाई. राजेश खैरा से मिले व एक माँगपत्र दाखिल किया।

माँगपत्र में उठाए गए विभिन्न मुद्दों में राज्य सरकार द्वारा सौंपे अतिरिक्त काम के साथ अतिरिक्त वेतन देने के अलावा विशेष रूप से आँगनवाड़ी केन्द्रों को पंचायतों को सौंपने का सख्त विरोध दर्ज करवाया गया व इसे रोकने के जल्द से जल्द कदम उठाए जाए। वहीं पिछले सालों में टलते आ रही माँगों जिनमें ग्रामीण स्तर पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ पर आरक्षण जैसे सहायक नर्सों या दाई प्राथमिक शिक्षकों आदि माँगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को याद दिलवाया कि चुनावों के समय उनके द्वारा किए गए वादों जिनमें अतिरिक्त वेतन एवं नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और साथ साथ राज्य में टीडीपी एवं भाजपा के गठबंधनको हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नीतियों का धड़ल्ले से पालन किया और आम जनता के हितों एवं अधिकारों की अवहेलना की।

इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह इन माँगों पर ध्यान देंगे। वही, सीटू ने यह तय किया है कि राज्य स्तर से जिला स्तर तक सभा का आयोजन कर व किस तरह अपनी माँगों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।

हरियाणा आँगनवाड़ी यूनियन संघर्ष तेज़

हरियाणा राज्य की आँगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर यूनियन के आफिस बियरर की बैठक 10 जून 2004 को रोहतक में राज्य सरकार के आँगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रति विरोधी नीति अपनाने के कारण हुई। बैठक में आँगनवाड़ी कर्मचारियों एवं सहायकों के संघर्षो को तेज करने पर बल दिया गया। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के निर्देशों का विरोध करते हुए जहाँ पर आँगनवाड़ी कर्मचारियों को 200/– रुपये एवं सहायकों को 100/– रुपये अतिरिक्त काम का अतिरिक्त वेतन देने का आदेश दिया गया उसके आदेशों का ना केवल उल्लंघन किया बल्कि जब केन्द्र सरकार ने 2003 से मांदे बढ़ा दिया उसे भी देने से इंकार कर दिया।

वहीं हरियाणा राज्य सरकार द्वारा रिटायरमैंट के नाम पर आँगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायकों की छंटनी कर रही है। क्योंकि आँगनवाड़ी वर्कस एवं हैल्पर को ''स्वैच्छिक वर्कर'' माना जाता है, तो यहाँ पर रिटायरमैंट का सवाल ही नहीं उठता। मगर फिर भी राज्य अधिकारियों द्वारा लगातार उन पर जोर डालकर इस्तीफा देने के लिए मजदूर किया जा रहा है। बल्कि, जिन कर्मचारियों एवं सहायकों ने 55 वर्ष के भी नहीं हैं उन्हें भी इस्तीफा या कहें रिटायरमैंट दी जा रही है।

राज्य सरकार की इस कार्यवाही पर पहले ही आँगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायक यूनियन के लोग राज्य स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं। प्रोजेक्ट स्तरीय धरना एवं विरोध प्रदर्शन किए गये हैं तथा यूनियन ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री को टेलीग्राम भेजकर दो मुख्य माँगों पर जोर दिया जायेगा– पहली तो अप्रैल 02 से उनका वेतन नहीं दिया गया, वह दिया जाए तथा दूसरी कि छंटनी के नाम पर जो जुल्म किया जा रहा है उसे वापिस ले, वरना राज्य स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया जाएगा। यूनियन ने जिला स्तरीय प्रदर्शनों को जुलाई में करने का भी निर्णय लिया।

आफिस बियरर (Office Bearer) की बैठक में एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री के पास भेजकर अपनी माँगों को पेश करने का भी फैसला किया।

काम पर जाने के लिए घुड़सवारी

यह कहानी है डी रत्ना कुमारी की जो एक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता है व हर रोज अपन घोड़े पर सवार होकर आगनवाड़ी केन्द्र दुब्बावलासा (Dubbavralasa) गाँव, अद्दाविगली प्रोजेक्ट (पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश) में है। यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कोई भी परियोजना से आदिवासी इलाके को नहीं जोड़ती। रत्ना कुमारी हर रोज दस किलोमीटर अपने घोड़े पर सवार होकर पेदागिददा (Pedageddada) से दुब्बावलासा गाँव पिछले नौ साल से यूं ही जा रही है। इसके पहले 6 वर्श तक वह पैदल अपनी यात्रा पूरी करनी थी।

दुब्बाविलायासा (Dubbavralasa) मात्र 97 परिवारों का एक आदिवासी इलाका है। 36 बच्चे यहीं के आँगनवाड़ी केन्द्र से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ पर ना तो बिजली है और ना सड़क। यह रत्ना कुमारी बेदृढ़ निष्चय का नतीजा है कि एक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता होने के नाते वह जिस हद तक मदद कोशिश कर सके। उस पिछड़े ग्रामीण इलाके में करने की कोशिश की। जबकि अपने कम वेतन के कारण वह ककसम नहीं खरीद सकती मगर फिर भी वह हर रोज यह लम्बी दूरी तय करती है और काम करती है। वहीं गाँव वाले उनकी सेवा एवं कार्य से इतने प्रभावित हैं कि वह रोज उन्हें उनकी यात्रा के लिए ध्यान से जाने की सलाह देते हैं।

उनके पति वहीं आश्रम के रिहाईशी ईलाके में चौकीदार हैं व उन्होंने अपनी पत्नी को घोड़ा खरीदने की सलाह दी व घुड़सवारी भी सिखाई। और अब वह बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वो ना केवल घोड़ा चला सकती हैं, लेकिन साथ ही वह अपने आँगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले बच्चों के लिए चिन्तित हैं जिनके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं हैं। वह कहती हैं कि अगर अब उनसे वोट माँगने आया तो पहले वह उचित स्वास्थ्य सेवाओं एवं पक्के मकानों की जरूरतों को पूरा करने को कहेगी।

हिमाचल प्रदेश : कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन

शिमलाः कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति का राज्य स्तरीय सम्मेलन यहां सम्पन्न हुआ। जिसमें बैंक, बीमा, शिक्षा तथा बाल विकास कार्यक्रमों से जुड़े लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्धाटन समिति की महासचिव का. हेमलता ने किया। उन्होने वर्तमान शोषण व दमनकारी और वर्ग विभाजित समाज में कामकाजी महिलाओं के प्रत्येक स्तर पर शोषण का जिक किया। उन्होने ट्रेड यूनियन आन्दोलन का भी जिक किया जिसके कारण कामकाजी महिलाओं की समस्यायों को सरकार तथा प्रबन्धकों के पास नहीं उठाया जाता। इसलिए इन मुद्दों को लेकर आन्दोलन करना पड़ता है। सम्मेलन में का. ई.के नायानार कों श्रद्धान्जलि अर्पित की गई। सम्मेलन में 12 प्रतिनिधियों ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर अपने विचार रखें। बहस में भाग लेने वालों में वीना वैद्य–स्कूल प्राध्यापक, रंजना– जीवनबीमा, वीना पटेर–बैंक, श्रेष्ठा, सुदेश, सरोज, कौशल्या, शकुन्तला, इन्दिरा, प्रेमकुमारी, सुलभा चौहान, कुसुमा, रंजना शामिल थे। फिर सदस्यों पर आधारित एक अध्यक्ष मण्डल का गठन किया गया जिसमें रंजना,देवकी,इन्दिरा और सरोज शामिल थे। प्रेमकुमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की अध्यक्षा ने प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के विषय पर रिपोर्ट रखी। सम्मेलन में रंजना को समन्वय समिति का संयोजक चुना गया और इसके बाद ही 19 सदस्यी कमेटी का भी चयन किया गया।

(रिपोर्टः कश्मीर सिंह ठाकुर)

वामपंथी महिला सांसद

पी. सती देवी, सी पी आई (एम)

सती देवी वादाकरा (केरल) से लड़ी व 1,30,589 के बड़े अंतर से अपने विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी एम टी पद्मा को हराया। इससे पूर्व यह सीट ए के प्रिमजम सी पी आई (एम) के

पास रही। वह केरल में वोट के नजरिए से सबसे बड़ा अंतर रहा।

वह कोझिकोड जिला कमेटी में सी पी आई (एम) सदस्या, अखिल भारतीय महिला समिति की जिला अध्यक्षा होने के साथ-साथ जिला आंगनवाड़ी यूनियन की अध्यक्षा रहीं। वह कोझिकोड जिला सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक की निर्देशिका भी रह चुकी हैं।

स्वर्गीय कामरेड एम दासन की पत्नी है, जो कि सी पी आई (एम) के जिला सचिव थे। अभी वह वकालत भी कर रही हैं।

सी एस सुजाता, सी पी आई (एम)

कामरेड सुजाता मावेलिकरा, केरल से सी पी आई (एम) की उम्मीदवार रही व 7,416 वोटों के अन्तर से जीत हासिल की। यह संसदीय क्षेत्र जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा व विरोधी प्रत्याशी रमेश चेन्नीतहला जो इससे पूर्व दो बार इस सीट पर लगतार जीते, को हराकर सुजाता ने सी पी आई (एम) को जीत हासिल करवाई। चेन्नकारा तोक्किहिल व सुमाति की बेटी हैं। 1980 के दशक में एस एफ आई द्वारा छेड़े प्री बोर्ड डिग्री संघर्ष में आगे रही व केरल विश्वविद्यालय के समूह में चुनकर पहली छात्र प्रतिनिधि बनीं।

सुजाता अभी अल्लीपुजा जिला संगठन कमेटी की सी पी आई (एम) की सदस्या होने के साथ-साथ अखिल भारतीय

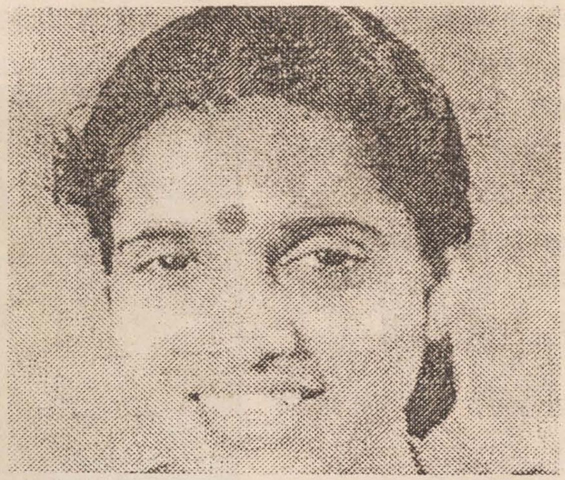

महिला समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की सदस्या हैं। वह अल्लीपुजा जिला की पंचायत की अध्यक्षा भी हैं वह उनके पति पिछड़ी जातियों के विकास कारपोरेशन के ...... हैं। इनकी बेटी का नाम कार्तिका है।

मिनाती सेन, सी पी आई (एम)

मिनाती सेन जलपाई गुड़ी पश्चिम बंगाल से सी पी आई (एम) की उम्मीदवार थी व त्रिणमूल कांग्रेस के कल्याण

चक्रवर्ती को 1,08937 वोटों से हराया। इससे पूर्व वह 12वीं लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं।

अपने कालेज के दिनों में वह विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों --नाटक, वाद-विवाद एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेती रही। उन्होंने रक्त दान कैम्प, पुनर्वास परियोजना आदि के चलते सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े महिला वर्ग को गणतांत्रिक महिला समिति द्वारा मदद मुहय्या करवाई।

स्वर्गीय कामरेड सतीश चन्द्र गुप्ता की बेटी मिनाती ने लगातार गरीब एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर होने वाले क्रूर हमलों के खिलाफ लड़ती रही।

रायगंज महाविद्यालय रायगज से शिक्षा ग्रहण की वह बी.ए. एवं बी.टी. किया। वह पढ़ाती भी है तथा शिक्षा-शास्त्री भी हैं। 1989 में वह नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की सदस्या भी रही। स्वर्गीय कामरेड आशिश कुमार सेन से विवाह के बाद उनके दो बच्चे भी हैं।

ज्योतिर्मोय सिकदर, सी पी आई (एम)

ज्योतिर्मोय सिकदर कृष्णानगर सीट से सी पी आई (एम) की उम्मीदवार थी व भाजपा के प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री सत्याब्रता मुखर्जी को 20,389 के वोटों के अंतर से हराया।

ज्योतिर्मोय का जन्म 19 दिसम्बर 1969 को देवग्राम नादिया जिला में हुआ। उनके पिता सी पी आई (एम) के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1987 में हाई स्कूल से पास होने के बाद वह कंचाटापरा कालेज में पढ़ाई की।

ज्योतिर्मोय ने अखिल भारतीय एथलेटिक प्रतियोगिता 1987 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं -जैसे जर्मनी, स्वीडन, रूस, आदि में किया। 1995 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया तथा 1998 में बैंकाक एशियाड में स्वर्णपदक विजेता रहीं। 1999 में उन्हें ''राजीव खेल रत्न'' से सम्मानित किया गया व 2001 में वह सक्रिय राजनीति में शामिल हुई। इससे पूर्व उन्होंने विधानसभा चुनाव में राणाघाट क्षेत्र से प्रतिनिधि रही।

सुष्मिता बाउरी, सी पी आई (एम)

सुष्मिता बाउरी विष्णुपुर पश्चिम बंगाल सीट से सी पी आई (एम) की प्रत्याशी रही व 3,31,829 के बड़े अन्तर से त्रिणमूल कांग्रेस के जनार्धन साहा को हराने में कामयाब रहीं।

सुष्मिता वकालत करती हैं व उन्होंने 11वीं कक्षा से ही स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हो गयी व 1994 में आगे चलकर अखिल भारतीय नौजवान सभा में शामिल हुई जब वह वकालत की पढ़ाई कर रही थी। अभी वह डेमोक्रेटिक लॉयर एसोसिएशन की जिला कमेटी सदस्या हैं।

वह आम जनता के विभिन्न संघर्षों में लगातार शामिल रही व उनका शौक पढ़ना व बागवानी है।

सुष्मिता की मां संध्या बाउरी, 11वीं, 12वीं एवं 13वीं लोकसभा सांसद रह चुकी हैं।

जोधपुर में आईसीडीएस कर्मचारियों की कार्यशाला

राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी यूनियन की कार्यशाला का आयोजन रेलवे कर्मचारियों के दफ्तर में 8–9 मई 04 के जोधपुर में हुआ। 51 कार्यकर्ता जिनमें आईसीडीएस सुपरवाइजर, आँगनवाड़ी वर्कस एवं हैल्पर शामिल थे, ने विभिन्न दस जिलों :– जोधपुर, झुनझुनू, जालावार, चुरू, डांगरपुर, पाली, भरतपुर, अजमेर एवं हनुमानगढ़ आदि से आए। भाँवरी मृदा जो कि यूनियन के अध्यक्षा हैं, वहीं कौशल्या शुक्ला ";नीसंद्ध महासचिव, ने कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त रविन्द्रर शुक्ला महासचिव राज्य कमेटी सीटू एवं अन्य रेलवे कर्मचारियों ने कार्यशाला के आयोजन पर बधाई दी।

हेमलता, अखिल भारतीय आँगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायक यूनियन की महासचिव ने कार्यशाला का उद्घाटन किया व कहा कि सुपरवाइजर जो असल में सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं और आँगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायक जिन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता दोनों ही एकसमान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जिसमें सबसे जरूरी है आईसीडीएस योजना को सुसीबतों का सामना करना पड़ा।

एक कल्याणकारी संख्या के रूप में अपनी भूमिका से पीछे हटते हुए सरकार ने इन योजनाओं पंचायतों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के देने का प्रयास कर रही है। सुपरवाइजरों की संख्या में कमी की जा रही है या उन्हें कान्टैक्ट के आधार पर नियुक्ति की जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। व कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर, आफिस स्टॉफ, आँगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायक एक ही यूनियन के तहत। एकजुट हुए व जयपुर एवं जोधपुर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किया। वहीं उन्होने आँगनवाड़ी कर्मचारियों एवं सहायकों से जुड़ी समस्याओं को उठाने जो कि इस विभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर जोर दिया। जिसका यूनियन नेताओं ने आश्वासन दिया कि वह उनसे जुड़ी समस्याओं को उठा रहे हैं।

कार्यशाला में एक माँग पत्र तैयार करने के साथ–साथ मैम्बरशिप चलाने की प्रक्रिया को तेज मजबूत बनाने, मैम्बरशिप चलाने, सम्मेलन करने व निर्वाचित कमेटियों सैक्टर से राज्य स्तर पर आदि पर जोर दिया।

सीटू महासचिव राज्य सभा सदस्य चुने गये

चित्तब्रत मजूमदार

चित्रबत्ता मजुमदार जो कि सीटू के महासचिव हैं राज्यसभा में चुने गए। वह पश्चिम बंगाल से वामपंथी पक्ष के उम्मीदवार थे।

चित्रबत्ता मजुमदार ग्रेजुएट हैं व टेक्सटाईल टैक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है। वह एक अध्यापक थे व मजदूर वर्ग के संघर्षो के साथ 1950 के दशक में जुड़े।वहीं ट्रेड यूनियन में काम के दौरान उन्हें 1965 में डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूलस के तहत जेल में सोलह महीने के लिए डाल दिया गया। जब वह जेल से बाहर आए तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के मेम्बर बने व ताउम्र मजदूरों के एवं कामकाजी वर्ग के संघर्षों के जुड़े रहे। मजूमदार सीट के कुछ आरम्भिक लोगों में से एक हैं व 1970 हुई सीटू की फाउंडेशन में वह जनरल काउंसिल में चुने गए। 1990 से 2003 तक सम्मेलन वह पश्चिम बंगाल सीटू यूनिट के महासचिव रहे व 11वीं अखिल भारतीय सीटू सम्मेलन में महासचिव चुने गये। वहीं इससे पूर्व वह पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार में 1977 से 1982 तक कॉटेज एवं लघु उद्योग मंत्री रह चुके हैं। वह सी पी आइ (एम) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य भी हैं।

एक ऐसे समय में जब नव उदारवादी नीतियों के चलते कामकाजी वर्ग के अधिकारों एवं माँगों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं वहाँ हम उम्मीद करते हैं कि वह संसद में उनके मुद्दों को उठाएंगे। चित्रबत्ता दा ने कहा है कि वह लगातार कामकाजी एवं मजदूर वर्ग के लोगों के अधिकारों को उठाएंगे संसद के अन्दर और बाहर दोनों तरफ से।

अलवर में आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन

हजारों की तादात में आँगनवाड़ी कर्मचारी नारे लगाते हुए, भरी दोपहरी में 14 जून 2004 को अलवर से मिलने आए। जुलूस की शुरुआत कम्पनी पार्क से दो बजे हुई व बस स्टैंड से होते हुएवह विवेकानन्द चौक वपर जिला कलेक्टर के पास पहुँचे। विभिन्न आँगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर अलग–अलग प्रोजेक्ट– उमरेन, कृष्णगढ़ बास, लक्ष्मणगढ़ एवं अलवर से इस जुलूस में शामिल हुए। जुलूस का नेतृत्व करने वालों में आँगनवाड़ी यूनियन के श्यामा शर्मा, मन्जू शर्मा, वीणा देवी शर्मा, प्रकाश देवी एवं मन्जू गुज्जर के अलावा सीटू के नेता राकेश शर्मा, रघुनाथ बावेजा, भूरेलाल नायक आदि ने किया। जुलूस में मुख्य मांगों के रूप में सही समय मान्दे, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन एवं शोषण को बन्द करना आदि था। वहीं पर सभा की गयी जिसे जिला सीटू अध्यक्ष रघुनाथ बावेजा, श्यामा शर्मा अलवर जिला आँगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर की अध्यक्ष एवं ए आई एफ ए डब्ल्यू एच की खजान्ची आर सिन्धु ने सम्बोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार को आगाह किया कि यदि कामकाजी वर्ग के अधिकारों का शोषण यू ही चला तो उसका नतीजा भी आंध्र प्रदेश की पूर्व चन्द्रबाबू नायडू सरकार की तरह होगा इसके बाद पांच सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें श्यामा शर्मा एवं प्रकाश देवी मौजूद थी ग्यारह मांगों के माँगपत्र के साथ जिला कलेक्टर से मिले जहाँ उन्हें आश्वास दिया गया कि माँगों पर ध्यान दिया जाएगा।

महाराष्ट्र: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं पर कन्वेंशन

महाराष्ट्र की ट्रेड यूनियनों ने राज्य के असंगठित मजदूरों की समस्याओं पर 30 मई को पुणे में एक संयुक्त कन्वेंशन आयोजित की। कन्वेंशन ने असंगठित क्षेत्र मजदूरों की मांगों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया और 9 अगस्त को मुंबई में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया। असंगठित क्षेत्र मजदूर इस दिन रैली के लिए अलग-अलग जिलों से मुंबई की ओर मार्च करेंगे। समझा जाता है कि महाराष्ट्र के संगठित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे असुरक्षित मजदूरों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है और जो असंगठित क्षेत्र में रोजगारशुदा हैं, उनकी संख्या अनुमानत: करीब 75 लाख है। इस 1.25 करोड़ उपेक्षित श्रम शक्ति के एक अच्छे-खासे हिस्से के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में रोजगार ढूंढ़ा जा सकता है।

राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं में भी उनके कार्य स्थल हैं। इस सूची में खेतमजदूर सबसे ऊपर हैं। असंगठित क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों, पॉवरलूम मजदूरों और सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है।

अलग-अलग उद्योगों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 510 प्रतिनिधियों ने कन्वेंशन में हिस्सा लिया। सांस्कृतिक शहर पुणे के नवी पेट स्थित एसएम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन हॉल में यह कन्वेंशन संपन्न हुई। आरजी कार्णिक (स्टेट गवर्नमेंट एंप्लॉईज कन्फेडरेशन), केएल बजाज (सीटू), शरद राव (एफएमकेपी), दादा सामंत (कामगार अघाड़ी), पीआर मेनन (एनआरएमयू), यशवंत चवान (सर्व श्रमिक संघ), एडी गोलंदाज (एटक), हनुमंत थाटे (एचएमएस), उषाताई दाता (घर कामगार संगठना) और जयंत चवान (एसएसएस) के दस-सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की और कार्रवाई का संचालन किया। आरंभ में एचएमएस के सूर्यकांत बागल ने कन्वेंशन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। सीटू के अजीत अभ्यंकर ने मुख्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मजदूरों की मांगें शामिल थीं। प्रस्ताव में शामिल मांगों में सबसे प्रमुख मांग थी मुख्य नियोक्ता को अपने मजदूरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाने की।

लिहाजा, प्रस्ताव में मांग की गई थी कि राज्य व केंद्र सरकार उनके लिए इसके अनुरूप एक सर्वसमावेशी विधेयक लाएं।

केंद्र की सत्ता से भाजपा के नेतृत्व वाली वाजपेयी सरकार को निकाल बाहर किए जाने और प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सत्ता में आने के फौरन बाद महाराष्ट्र में हुई इस कन्वेंशन का अपना महत्व था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल सितंबर या अक्टूबर के शुरू में होने हैं। लिहाजा, जिस वक्त यह कन्वेंशन हो रही थी, उस वक्त का अपना विशेष महत्व है।

कुल मिलाकर 17 वक्ताओं ने कन्वेंशन में अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं में शामिल थे पुणे के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आदव, दादा सामंत (कामगार अघाड़ी), डॉ0 विवेक मोंटेरियो (ठेकादारीविरोधी मंच), प्रोफेसर सीआर सदाशिवन (बीयूसीटीयू), किरण मोघे (अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति), सुब्हा मोमिन (आंगवाड़ी), दत्ता माने और एमएच शेख। सीटू के पीआर कृष्णन ने एक प्रस्ताव पेश कर केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 28 मई के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें हड़ताल, बंद और मजदूरों-कर्मचारियों की अन्य विरोध कार्रवाइयों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की बात कही गई है। इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव में कड़ा विरोध दर्ज करते हुए रेखांकित किया गया कि मेहनतकश जनता ने अपने संघर्षों और अपनी कुर्बानियों के जरिए जो अधिकार हासिल किए हैं, उनका समर्पण नहीं किया जा सकता है। दादा सामंत ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

कामरेड ई के नायनार

हम यह समाचार भारी दु:ख के साथ दे रहे हैं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पोलित ब्यूरो के सदस्य कामरेड ई के नायनार अब हमारे बीच में नहीं रहे। वह एक समर्पित क्रांतिकारी थे। वह तीन बार केरल राज्य के मुख्य मंत्री बने और सबसे लम्बी अवधि के लिये मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। उन्हें कुछ दिन पहले दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका देहांत 19 मई, 2004 को हुआ। वह 85 वर्ष के थे।

उनका सम्बन्ध स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के साथ था; वह अपनी युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। उन्होंने उत्तरी मालाबार में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। वह कुल मिला कर 11 वर्ष तक भूमिगत रहे और अपने जीवन के चार वर्ष उन्होंने जेल मे बिताए थे।

कामरेड नायनार 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और किसान आंदोलन के एक कार्यकर्ता बन गए। इसके साथ ही वह पार्टी के संगठनकर्ता भी रहे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया था और वह 1964 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) में शामिल हो गए। वह सातवीं कांग्रेस से पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य थे और चौदहवीं कांग्रेस में पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य चुन लिये गए थे।

एक कम्युनिस्ट नेता के तौर पर वह सबसे पहले जनता के सिपाही थे और जन साधारण के आदमी थे। वह केरल में उन नेताओं में से एक थे जिन्हें जनता में बेहद पसंद किया जाता है। वह एक योग्य पत्रकार थे। उन्होंने दैनिक देशाभिमानी का सम्पादन भी किया था। वह केरल के कम्युनिस्ट आंदोलन में अपने भारी योगदान के लिये सदा जाने जाएंगे। उनका देहांत हो जाने के कारण देश के वाम एवं जनवादी आंदोलन ने अपने एक अनुभवी जन नेता को खो दिया है। सीआइटीयू तथा उसका मुखपत्र 'सीटू मजदूर' आदरपूर्वक कामरेड नायनार को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता है। इसके साथ ही वह उनकी विधवा शारदा टीचर, उनके दो बेटों, दो बेटियों तथा परिवार के दूसरे सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है।

सोमनाथ चटर्जी

सोमनाथ चटर्जी सी पी आई (एम) सांसद जो पश्चिम बंगाल में बोलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, को सर्वसम्मति से 14वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक कम्युनिस्ट को लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुना गया है। इससे पूर्व सी पी आई (एम) पोलिट ब्यूरो ने सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाने के कांग्रेस के प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे स्वीकार कर लिया।

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस वांमपंथी पार्टियों के समर्थन से सत्ता में आएगी तो कांग्रेस ने वामपंथ से सरकार में शामिल होने का अनुरोध किया। किन्तु सी पी आई (एम) की केंद्रीय कमेटी ने सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया चूंकि यह ऐसी स्थिति में नहीं थी कि देश में मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के पक्ष में नीतियों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सके। यह स्पष्ट करते हुए कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को स्वीकार करना पार्टी द्वारा सरकार में शामिल न होने के अपने निर्णय के खिलाफ नहीं है, सी पी आई (एम) ने कहा कि संसदीय जनतंत्र के तीन हिस्से हैं - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार का सरोकार केवल राज्य के कार्यकारी कामों से है जबकि लोकसभा अध्यक्ष विधायी शाखा का अध्यक्ष होता है। सी पी आई (एम) और वामपंथ चुनावों में भाग लेते हुए पहले से ही विधायिका के चुने हुए सदस्य हैं। अत: इसमें कोई भ्रम नहीं हो सकता कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, कार्यपालिका की भूमिका और सत्ता से एकदम अलग है।

हमें उम्मीद है कि नये लोकसभा अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि संसद में मजदूरों और जनता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हो।

आंध्र प्रदेश में विरोधी दलों की जीत

आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनावों में जनता ने मौजूदा सत्तारूढ़ टीडीपी-भाजपा के गठबंधन वाली सरकार को हरा व विरोधी दलों को जीत दिलवाई। जहां पर 294 संसदीय क्षेत्रों वाले विधान सभा में वामपंथियों को 16 सीटें - सी पी आई (एम):9, सी पी आइ:6, सी पी आई (एम-एल) : 1 सीट मिली। कांग्रेस जो कि लगभग दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर 187 सीटों पर काबिज रहीं उसकी गठबंधन साथी तेलंगाना राष्ट्र समिति 26 सीटें पाने में सफल रही।

टी डी पी के लिए यह अत्यन्त शर्मनाक हार साबित हुई जब उसके 36 मंत्रियों में से 28 हारे व केवल 47 सीटों पर वह अपना वर्चस्व जमा पाई, वहीं उसकी घटल दल भाजपा केवल दो सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा पाई। बाकी सभी सीटें विरोधी दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों के हाथ में गयी।

यह सही मायने में विश्व बैंक द्वारा निर्देशित सुधारों के खिलाफ फैसला था, जिसे चन्द्र बाबू नायडू सरकार ने लागू किया। जिससे विभिन्न तबके के लोगों को प्रभावित किया व बीते वर्षों में अतिरिक्त बोझ को डाला। जनता में राज्य एवं केंद्र सरकारों दोनों के प्रति इतना असंतोष था कि उनके द्वारा लागू जनता विरोधी भ्रष्टाचार का सामना उन्हें करारी हार के रूप में करना पड़ा। वहीं विधान सभा चुनावों का ठीक वैसा ही नतीजा लोकसभा के चुनावों में भी देखने को मिला।

राजनीति में रहे विरोधी दलों विशेषकर वामपंथियों व मुख्यत: सी पी आई (एम) द्वारा काबिज सरकार चिट्ठा खोलने एवं विश्व बैंक के नक्शेकदम पर लागू नीतियों एवं परिणामों को आगे लाकर जनमत को सरकार के बारे आगाह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी सबमें टीडीपी ने जनता को शराब, पैसे व वादों की झूठी राजनीति चलाने की बहुत कोशिश की, मगर जनता को बहलाने में कामयाब न हो सकी।

(संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक कमिशन की 60वें सत्र का आयोजन 22–28 मई, 2004 को शंघाई में किया गया था। इस अवसर पर दूसरे नेताओं के अतिरिक्त ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल आफ पब्लिक एण्ड एलाईड इम्पलाईज, डब्ल्यूएफटीयू के महासचिव कामरेड सुकोमल सेन ने भी भाषण दिया था। प्रस्तुत हैं उनके भाषण के प्रमुख अंश।)

गरीबी और असमानता का साम्राज्य

□ सुकोमल सेन

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक कमिशन अर्थात् यूएनईएससीएपी के 60 वें सत्र का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व अभूतपूर्व कठिनाईयों के दौर में से गुजर रहा है; कर्मचारियों तथा मजदूरों के रोजगार संकट में पड़ चुके हैं; वे अपने रोजगारों, अपने आर्थिक लाभों, सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के मामले में पूर्णतया असुरक्षित स्थिति में पहुंच चुके हैं। आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान चरण में मजदूरों के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों में जबरदस्त कटौतियां की जा रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। विश्व भर के जनमत की अवहेलना करते हुए अमरीका तथा ब्रिटेन ने जिस प्रकार इराक पर धावा बोला और उनकी ओर से विश्व व्यापी श्रमिक आंदोलन की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए प्रतिरोध की अनदेखी की गई; इस सबसे हम परिचित हैं; यह सत्र इसी पृष्ठभूमि में हो रहा है।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निदेशित नीतियों को पिछले डेढ़ दशक से लागू किया जा रहा है; निश्चित रूप से ये नीतियां श्रमिक विरोधी हैं, यह बात सिद्ध हो चुकी है। डब्ल्यूएफटीयू तथा हमारे ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल को बुनियादी तौर पर सार्वजनिक तथा उससे जुड़ी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की चिंता है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा उससे जुड़ी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्यतया विकासशील देशों अथवा उन्नत पूंजीवादी देशों में नव उदार आर्थिक सत्ता के हमलों का सीधा निशाना बनाया जा रहा है।

हाल ही में घटने वाली आर्थिक एवं सामाजिक घटनाओं के दुष्प्रभाव क्या हैं? भूमण्डलीय अर्थ व्यवस्था में किस प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में अमीर एवं गरीब के बीच असमानता की खाई दिन प्रतिदिन गहरी होती चली जा रही है और यह अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुकी है; इसकी कुछेक उदाहरणें हम यहां दे रहे हैं।

यद्यपि विश्व के समृद्धतम पूंजीवादी देशों में भारी गरीबी तथा विषमता पाई जा रही है तथापि उसकी तुलना उन स्तरों के साथ कदापि नहीं की जा सकती जो विश्व की बहुसंख्य अर्थ व्यवस्थाओं में हमें देखने को मिल रही है; ये देश पूंजीवादी हैं और गरीब भी। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों में और समग्र रूप में पूरे विश्व भर में उन लोगों की संख्या के बारे में अनुमान लगाया है जो एक अथवा दो अमरीकी डालर से भी कम दैनिक आय पर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। उदाहरण के लिये नाइजीरिया में 1990 के दशक के प्रारम्भिक चरण में 90.8 प्रतिशत जनता 2 डालर अथवा उससे भी कम दैनिक आय में गुजर बसर कर रही थी; भारत में वर्ष 1997 में यह आंकड़ा 86.2 प्रतिशत था। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि विश्व के लगभग 6 अरब लोगों में से 2.8 अरब लोग (लगभग 45 प्रतिशत) 2 डालर अथवा उससे भी कम दैनिक आय पर गुजर बसर करते हैं; 1.2 अरब लोग (लगभग 20 प्रतिशत) 1 डालर अथवा उससे भी कम की दैनिक आय पर अपना गुजर बसर करते हैं।

अमरीका में आय का गरीबी का स्तर क्या है; उसके तुलनात्मक आंकड़े भी विश्व बैंक की ओर से जारी किये गए हैं। याद रखिये, वर्ष 2002 में अमरीका में गरीबी का निचला स्तर 12.60 डालर प्रति व्यक्ति प्रति दिन था। गरीब देशों के लिये बैंक की ओर से निर्धारित गरीबी का स्तर इन दिनों 1 डालर प्रतिदिन है। विश्व बैंक इस संख्या का उपयोग करते हुए यह दावा करता है कि 1990 के दशक में विश्व भर में गरीबी कम हुई है। गरीब देशों में मूल्य कम होने के कारण गरीब व्यक्ति 1 डालर प्रतिदिन की आय पर गुजर बसर कर सकता हो पर अमरीका में एक डालर प्रतिदिन की आय वाले व्यक्ति की गणना वंचितों में की जाएगी; गरीब देशों के मामले में यह स्थिति नहीं है। विश्व बैंक की ओर से निर्धारित गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले अनेक व्यक्तियों में किसी प्रकार अपना गुजर बसर करने वाले किसान शामिल हैं पर धन पर आधारित इस अर्थ व्यवस्था के घेरे से बाहर काम करते है। उनकी आर्थिक स्थिति एक डालर प्रति दिन की आय पर गुजर बसर करने वाले लोगों की अपेक्षा अच्छी होगी; किन्तु वास्तविकता तो यह है कि बैंक की ओर से बढ़ावा दिये जाने वाली कृषि नीतियों के चलते वे गांवों से विस्थापित होकर शहरों में आ रहे हैं; हो सकता है विश्व बैंक के गरीबी के स्तर से उनकी आय का स्तर ऊंचा हो, पर गांवों में रहते समय उनकी जो हालत थी, वह अब बदतर हो चुकी है।

विश्व बैंक के अर्थ शास्त्री ब्रांको मिलानोविक ने विश्व भर में आय की असमानता का आंकलन किये जाने सम्बन्धी इस अत्यंत परिष्कृत प्रयास का निरीक्षण किया है। सम्पूर्ण विश्व में घरेलू आय का जबरदस्त सर्वेक्षण

करते समय उन्होंने पाया कि, "विश्व में सबसे समृद्ध एक प्रतिशत लोगों की आय सबसे दरिद्र माने जाने वाले 57 प्रतिशत लोगों की आय के बराबर है। सबसे समृद्ध 5 प्रतिशत की आय 1993 में सबसे दरिद्र 5 प्रतिशत लोगों की आय के अनुपात में 114 गुणा अधिक थी। 1998 में उनकी आय 78 गुणा अधिक थी। सबसे दरिद्र 5 प्रतिशत और गरीब हो गए, उनकी असल आय में 25 प्रतिशत की गिरावट आ गई, इसके विपरीत सबसे समृद्ध 20 प्रतिशत लोगों की असल आय में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जो विश्व की आनुपातिक आय से दो गुणा से भी अधिक थी। विश्व भर में आय की विषमता बढ़ी है क्योंकि देशों के मध्य असमानता बढ़ चुकी है। अमीर राष्ट्र और अमीर तथा गरीब राष्ट्र और गरीब हो गए है। प्रत्येक देश में अमीर लोग गरीबों के मूल्य पर और अमीर हो चुके है।"

संयुक्त राष्ट्र की ओर से अभी हाल ही में जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट 2003 में मिलानोविक की ओर से निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए हमें बताया गया है कि अमरीका के सबसे अमीर अढ़ाई करोड़ लोगों की आय विश्व के सबसे गरीब 2 अरब लोगों (दो अरब की संख्या अढ़ाई करोड़ से 80 गुणा अधिक है) की आय के बराबर थी। पश्चिम युरोप में वर्ष 1820 में प्रति व्यक्ति आय अफरीका की तुलना में तीन गुणा अधिक थी; 1990 के दशक तक यह अंतर बढ़ कर तेरह गुणा हो गया था। इन आंकड़ों के मानवीय अर्थों के बारे में रिपोर्ट का कहना है, "आज के आंकड़े शर्मनाक हैं; पिछले दशक में 1.30 करोड़ बच्चे अतिसार तथा दस्त की बीमारियों का शिकार हो कर काल का ग्रास बन गए थे। प्रत्येक वर्ष पांच लाख से अधिक महिलाएं अर्थात् दिन में प्रत्येक मिन्ट के बाद एक महिला गर्भ के दिनों अथवा बच्चे को जन्म देने के समय दम तोड़ देती है। 80 करोड़ से अधिक लोग कुपोषण से पीड़ित हैं।" इसके अतिरिक्त "अनेक देशों के लिये 1990 का दशक निराशाओं से भरा था। 1990 के दशक के विपरीत वर्तमान में लगभग 54 देश गरीब हैं। 21 देशों की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग भूख से पीड़ित है। चौदह देशों में बच्चे पांच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही काल का ग्रास बन जाते हैं। बारह देशों में प्रारम्भिक पाठशालाओं में भर्ती किये जाने वाले बच्चों की संख्या कम होती चली जा रही है। 34 देशों में जीवन की अपेक्षता में गिरावट आई है। मनुष्य के अस्तित्व के लिये यह उलटा चक्र पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो।" अर्थशास्त्री जेम्स गालब्रेथ हमें बताते हैं कि "विकासशील देशों की व्यापकता को देखते हुए टैक्सास विश्वविद्यालय की ओर से 'परियोजना असमानता' चलाई गई थी; उसकी जांच के निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश देशों में असमानता बढ़ती चली जा रही है और मुट्ठी भर देशों में ही इसमें कमी आ रही है।"

इतना सब होने पर भी आज पूंजीवाद के प्रचारक अवसरों की समानता के दावे करते चले जा रहे हैं; उनका कहना है कि गरीब देशों की अर्थ व्यवस्थाओं के लिये प्रत्येक अवसर सुलभ है; वे किसी भी समय अमीर बन सकते हैं। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है?

देशों के भीतर अमीर तथा गरीब के बीच का अंतर उतना ही है जितना अमीर देश तथा गरीब देश के बीच का अन्तर। क्योंकि व्यापक रूप में देशों के भीतर जन संख्याओं का अनुपात अलग-अलग है इसलिये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के माध्यम से उनकी अमीरी-गरीबी की तुलना करने की एक सामान्य विधि हो सकती है। यह तुलना देशों के बीच व्याप्त भीषण विषमता को दर्शाती है। सबसे ऊपर वे देश हैं जिन्हें "अमीर देश" कहा जाता है। इनमें से अधिकतर पूंजीवादी देश हैं; ये देश पहले औद्योगिक राष्ट्र बने फिर उन्होंने अर्थ व्यवस्था का नियंत्रण सम्हाल लिया; यह नियंत्रण अधिकतर उपनिवेशवाद के माध्यम से सम्हाला गया। उन्होंने शेष विश्व को अपने गलबे में ले लिया; गलबे में आने वाले ये देश अधिकतर लातिनी अमरीका, अफरीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के थे। सबसे नीचे उन देशों का नाम आता है जो 'गरीब देशों' में सबसे गरीब हैं। अमीर देशों की ओर से इन देशों में जबरदस्ती अपने कारोबार का विस्तार कर लिया था। अमरीका, नार्वे, जापान, जमर्नी तथा फ्रांस जैसे देशों का प्रति व्यक्ति जीडीपी 20 है; यह इथोपिया, मालावी, अफगानिस्तान तथा बोलिविया से 100 गुणा अधिक है। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि वे अधिकांश देश आज समृद्ध हैं जहां पूंजीवाद सबसे पहले आया था जबकि अधिकांश गरीब देशों में वे देश शामिल हैं जिनका लम्बा इतिहास उपनिवेशवादी शोषण तथा साम्राज्यवादी बर्चस्व का रहा है। प्रति व्यक्ति जीडीपी की दृष्टि से लातिनी अमरीका का कोई भी देश शीर्षस्थ 35 देशों तथा अफरीका का कोई देश शीर्षस्थ 55 देशों की सूची में शामिल नहीं है। सबसे गरीब 50 देशों में से अधिकांश देश अफरीका में हैं। सबसे अमीर 50 देशों में से 60 प्रतिशत देश युरोप तथा उत्तरी अमरीका में हैं।

असमानताओं का पहले से भीषण अंतर बढ़ता चला जा रहा है। राजनीतिक सत्ता के चलते इस बात की सम्भावना है कि वहां समाज कल्याण कार्यक्रमों के जरिये गरीबी के दुष्प्रभावों को खत्म करने में सहायता मिलेगी, किन्तु इसके साथ ही इस बात की सम्भावनाएं भी कम नहीं हैं कि वहां गरीबी खत्म नहीं होगी क्योंकि उन देशों की ओर से अपनाई गई नीतियां अमीर वर्ग की पक्षपाती हैं। उन देशों में रहने वाले गरीब लोगों के बीच निराशा बढ़ती चली जा रही है क्योंकि वे अपने तथा सबसे अधिक अमीर लोगों के बीच बढ़ते चले जा रहे अन्तर को देख रहे हैं।

अर्थ व्यवस्था तथा समाज में व्याप्त असंतुलन प्रगति, शांति तथा सामाजिक विकास के लिये खतरा है। यह विषमता वर्तमान पूंजीवादी विश्व व्यवस्था की उपज है। यही व्यवस्था विषमताओं को जन्म देती है। विश्व व्यापी गरीबी तथा विषमता की व्याप्ति की रोकथाम करने के लिये इस व्यवस्था को बदलना होगा। जिन लोगों पर इस विषमता का सीधा दुष्प्रभाव पड़ा है या पड़ रहा है, उन्हें आगे बढ़ कर व्यवस्था में तबदीली लाने के लिये संघर्ष करना होगा।

कामकाजी महिलाओं के बारे में बी.टी. रणदिवे के विचार

कामकाजी महिलाओं व उनकी परेशानियों को नकारना, उनके प्रति व हितों के होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार का ज़ारी रहना, श्रमिक संगठनों में शामिल होने व पद ग्रहण आदि करने पर विरोध दर्ज करना; कुछ नहीं बल्कि सामन्ती सामाजिक दायरों में रची-बसी प्रथा जो ट्रेड यूनियनों के अन्दर और विशेषकर स्थापित नेतृत्व का ही नतीजा है। यह सब भारतीय समाज में पहले से ही चले आ रहे स्त्री विरोधी एवं उनके निम्न दर्जे का परिचायक है।

आज़ादी के बाद उद्योग-धन्धों का विकास, पूँजीवादी सम्बंधों का फैलाव, संविधानिक सुरक्षा जो हर व्यक्ति को समानता का अधिकार बिना लिंग एवं धर्म के आधार पर मिली, व ट्रेड यूनियनों का मजबूत होना— आदि के बावजूद भी पुराना सड़ा-गला नजरिया बरकरार है।

कामकाजी महिलाओं को नकारने का काम ट्रेड यूनियनों में बहुत पुराना रोग है व क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील ट्रेड यूनियनों ने इस पर संघर्ष छेड़ कर प्रश्न को उठाने का साहस जताया है। स्वयं मार्क्स ने ब्रिटिश एवं फ्रांसिसी नेताओं का विरोध कर एवं अमेरिकी श्रमिक आन्दोलनों की प्रशंसा कर 1868 में लिखा ''अपने प्रति होने वाले निन्दनीय व्यवहार को दूर कर, पिछली श्रमिक काँग्रेस में कामकाजी महिला वर्ग विशेष उन्नति दर्ज की। जहाँ इस पर ब्रिटिश एवं फ्रांसिसी अभी भी मानसिक संकुचन को अपनाए हुए हैं।'' और यह अभी भी नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमी श्रमिक संगठन अब भी इस बीमारी से उभर चुके हैं।

पिछले बीते दशक में कामकाजी महिलाओं के प्रति लगातार हमले तेज हुए व हर तरह की भेदभावपूर्ण नीति का पालन के लिए हुआ। वहीं पर विभिन्न मजदूर संगठन व उनके नेता इस पर चुप्पी साधे रहे। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में चल रहे उत्साहपूर्ण नारे ''पूरी दुनिया के मजदूर एकजुट हों'' में कामकाजी महिला वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। इस सम्बंध वह सभी उत्तरदायी हैं:—चाहे वह अलग-अलग यूनियनों में शामिल मजदूर व उनके नेताओं के साथ-साथ मध्यम-वर्गीय कर्मचारी, उच्च शिक्षा ग्रहण किए व उच्च तन्खाह पाने वाले लोग सभी। पुरानी सभ्यता से जुड़े गैर प्रगतिवादी चीजों का जुड़ाव आधुनिक समय से होना मुमकिन नहीं है।

इन सभी बातों से यह बात ज़ाहिर होती है कि कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के प्रति नजरिए में बदलाव लाना जरुरी है। इस सम्बंध में जुड़ी जानकारी एवं तथ्यों को जरुरी है कि विभिन्न विशेष रिर्पोटों एवं भाषणों में उठाया जाए व महिला कामरेडों द्वारा हमारी ट्रेड यूनियनों को बेहतर दिशा में ले जाया जाए। इसी के साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं का आम काउंसिल कार्यकारिणी कमेटी में चुने जाने से भी उनसे जुड़ी परेशानियों को उठाने का अवसर सीटू यूनियनों में देती है।

कामकाजी महिला वर्ग से जुड़ी विभिन्न परेशानियां बड़े पैमाने पर श्रमिक वर्ग पूंजीवादी समाज से जुड़े संघर्ष का हिस्सा है व इसका सम्बन्ध केवल महिलाओं से ही नहीं जुड़ा है। लेनिन द्वारा भी पुरुष कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण एवं व्यवहार पर गहरी आपत्ती दर्ज की व उन्होंने कहा इससे आखिरी विश्लेषण हम कह सकते हैं कि महिला कार्यकर्त्ता एवं वर्ग को नकारना एवं अलग रखना बहुत ही आपत्तिजनक है वह ठीक कहा गया।

के. हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली-2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित